

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम—सिरोही(राज.)

वादी
ललीत कुमार ओझा पुत्र श्री मदनलाल

बनाम

प्रतिवादीगण
अरविंदकुमार पुत्र श्री भबूताराम ओझा

किस्म मुकदमा,
राजस्व वाद अधारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 20/2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
26-08-25	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्षकारान उपस्थित है। हमने वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनकर उस पर मनन किया। विचाराधीन वाद की सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावजी साक्ष्य राजस्व रेकर्ड ईत्यादि का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व बहस पर मनन से यह पाया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है। उक्त आराजी भबुतराम पुत्र भवानीशंकर की पत्नि, पुत्रगण व पुत्रीयों के नाम राजस्व रेकर्ड मे रेकर्डेड खातेदार के इन्द्राज है तथा वादी ने अपना वादग्रस्त आराजी मे खसरा नंबर 705 मे पुश्तैनी हिस्सा बेचान करने व वसीयत अनुसार भबूतारामजी ने कभी सन्तानों मे वादग्रस्त तमाम कृषि भूमि संपति जेवरात रूपयें का निस्तारण कर देने से तथा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 705 मे वादी ने अपना हक हिस्सा बेचान कर देने से वादी का उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नही बनता है वादी ने उक्त वाद सोने चांदी के जेवरात व नकद रूपयें मौखिक विभाजन मे देने के तथ्यों को आधार बनाकर वाद प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध पेश किया गया है। जबकि वादग्रस्त आराजी मे रेकर्डेड खातेदार अन्य पक्षकार भी है जो वाद मे पक्षकार नही बनाये तथा खातेदारी की घोषणा का वाद मात्र प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध पेश किया है। वहीं प्रतिवादी संख्या एक ने वादी व अन्य पक्षकारान के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी के विभाजन का वाद पेश किया है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिससे उक्त वाद को चलाने से वाद की प्रकृति भी परिवर्तित होगी तथा रेकर्डेड खातेदार पक्षकारान को विभाजन कराने मे भारी कठिनाईयों उत्पन्न होगी। वादी</p>	



की ओर से वाद मे वर्णित तथ्यों के प्रमाणिकरण के संबंध मे कोई दस्तावेजी रेकर्ड/साक्ष्य पत्रावली पर नही है तथा ना ही उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब दिया है। तथा न ही प्रमाणिकरण का वाद मे स्पष्ट अंकन है।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2017(2) Page 1100 Bhakar Ram V/s Suja Ram & Ors** व **1981 RRD 667 Rajsthan Revenue Board Abdul Wahid V/s Mangu** पेश किए।

वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया है की वादग्रस्त आराजी का निस्तारण वादी के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. भबूतराम ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी विभाजन कर दिया था तथा उक्त विभाजन फलस्वरूप सोने/चांदी के जेवरात एवं रूप्ये नकद दे दिये थे। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 कोई हक हिस्सा नही बनता है।

वहीं वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस में वादी के कथनों का खण्डन करते हुए बताया की उक्त वाद में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है केवल मात्र मौखिक विभाजन में सोने/चांदी के जेवरात एवं रूप्ये नकद के आधार पर उक्त वाद पेश किया है जो विधि में परिपोषणीय नही होने से काबिल खारज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने अपना वाद प्रतिवादी को उक्त आराजी के प्रतिकर के रूप में जेवरात एवं नकद भुगतान के रूप में करने के आधार पर पेश किया है। जिसके विरुद्ध प्रतिवादी ने ऐसे किसी भी मौखिक प्रतिकर के आधार पर पेश दावे को बिना किसी हेतुक प्रकट किए पेश किए जाने से वाद खारिज करने हेतु प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया। उभय पक्ष द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र प्रत्युत्तर एवं बहस में प्रकट किए गए तथ्यों के आधार पर एक निर्विवाद तथ्य है कि वादी ने प्रतिकर देने एवं कब्जे काश्त के आधार पर वाद पेश किया है। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2017(2) Page 1100 Bhakar Ram V/s Suja Ram & Ors** पेश किया है जिसमें उल्लेखित है कि Unregistered विक्रय एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पेश वाद विधि द्वारा वर्जित है एवं पोषणीय नही है एवं वाद खारिज किया गया। हस्तगत प्रकरण की स्थिति उक्त न्यायिक दृष्टांत से भी बदतर है क्योंकि यहां Unregistered विक्रय पत्र भी न होकर केवल मात्र जेवरात व नकद राशि देने के आधार पर पेश किया है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा पेश अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अप्रत्यक्ष रूप से लागू होता है एवं प्रतिकूल



(Handwritten signature)

कर्मों का न्यायिक दृष्टिगत पूर्णतया लागू होता है।

इस प्रकार समय विवेक, विवेक से सुपष्ट है कि वादी द्वारा

प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर

प्रतिवादी संख्या एक का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 07 नियम 11 सीपीसी

का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा विचारधीन यह

वाद अ.धा. 88,188 आर.टी.एक्ट का विधि से परिपोषणीय नहीं होने से

खरीज किया जाता है। निर्णय से इंजलास सुनाया गया। पत्रावली

कैसल श्रुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक का यह

प्रार्थना पत्र अ.धा. 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार योग्य होने से

स्वीकार किया जाता है तथा विचारधीन यह वाद अ.धा. 88,188 आर.

टी.एक्ट का विधि से परिपोषणीय नहीं होने से खरीज किया जाता है।

निर्णय से इंजलास सुनाया गया। पत्रावली कैसल श्रुमार होकर नम्बर

से कम हो।



सहायक कलेक्टर (प.स.डी.ओ.)

परिपत्रक क्र. 2024/100
दिल्ली (प.स.)